प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.10.2024

थाना चकरघट्टा द्वारा कच्ची देशी शराब निर्माण करते समय दो अभियुक्तो किया गिरफ्तार, 30 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब, व 150 लीटर महुआ का लहन, तथा शराब बनाने का उपकरण बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे महोदय द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन महोदय तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नौगढ महोदय के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 08.10.2024 को समय 20.30 बजे थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराहियान पुलिस बल के साथ ग्राम हनुमानपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली मे मुखबीर खास की सूचना पर कच्ची देशी शराब का निर्माण करते समय दो व्यक्ति 1.प्यारे खरवार पुत्र कृपाल खरवार निवासी ग्राम हनुमानपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष 2. शिवशरन कोल पुत्र स्व0 शंकर कोल निवासी ग्राम हनुमानपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से दो पन्द्रह लीटर के डिब्बे मे कुल 30 लीटर कच्ची शराब,.दस पन्द्रह लीटर के डिब्बे मे कुल 150 लीटर महुआ का लहन, शराब बनाने के उपकरण एक स्टील का ड्रम मय नलकी लगा, ढक्कन, एक तसली, एक ली0 का एक शीशे का बोतल बरामद हुआ, पूछताछ मे दोनो अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि वह महुआ से कच्ची देशी शराब बनाकर उसे ऊचे दामो मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते है। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2024 धारा 60 / 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड लेने हेतु मा0न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम–

1.प्यारे खरवार पुत्र कृपाल खरवार निवासी ग्राम हनुमानपुर थाना चकरघट्टा चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष

2. शिवशरन कोल पुत्र स्व0 शंकर कोल ग्राम हनुमानपुर थाना चकरघट्टा चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1.दो पन्द्रह लीटर के डिब्बे मे कुल 30 लीटर कच्ची शराब

2.दस पन्द्रह लीटर के डिब्बे मे कुल 150 लीटर महुआ का लहन

3.शराब बनाने के उपकरण एक स्टील का ड्रम मय नलकी लगी,

4. ढक्कन, एक तसली, एक ली0 का एक शीशे का बोतल आदि

गिरफ्तारी का दिनांक व समय – 08.10.2024 समय 20.30 बजे

गिरफ्तारी का स्थान – हनुमानपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद

2. उ0नि0 संतोष

3. हे0का0 बीरेन्द्र कुमार

4.का0 रत्नेश पाण्डेय

5.म0का0 राखी

थाना चकिया

अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को थाना चकिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे महोदय के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन श्री अनिल कुमार यादव महोदय के आदेशानुसार चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण , अवैध असलहो की तस्करी की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया श्री राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित टीम ने दिनांक 08.10.2024 को मैना पहाडी दूबेपुर मोड पुलिया वहदग्राम दूबेपुर से समय 17.10 बजे अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार हरिजन निवासी ग्राम गरला नई बस्ती थाना चकिया जनपद चन्दौली को एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तारी/बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 178/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व गिरफ्तारी का स्थान

1.संतोष कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार हरिजन निवासी ग्राम गरला नई बस्ती थाना चकिया जनपद चन्दौली को मैना पहाडी दूबेपुर मोड पुलिया वहदग्राम दूबेपुर से गिरफ्तार किया गया।

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 178/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी टीम का विवरण: -

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 गंगाधर मौर्य थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 अनिरूद्ध सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 रामचन्द्र सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

थाना चकिया पुलिस द्वारा 01 अदद महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन से 07 राशि गोवंशीय पशु बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक चन्दौली महोदय श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अवैध शराब/ गोतस्करों के विरूद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन महोदय व क्षेत्राधिकारी चकिया महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली के कुशल निर्देशन में थाना चकिया पर गठित टीम के द्वारा दिनांक 08.10.2024 को अभियुक्तगण द्वारा 01अदद महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP63AT8074 से 07 राशि गोवंशीय पशुओ को वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा था कि वनभीषमपुर तिराहा वहद ग्राम वनभीषमपुर से गोवंशीय पशुओ को पिकप वाहन के साथ बरामद करते हुए अभियुक्त सुजीत कुमार बिन्द उर्फ विपिन कुमार बिन्द पुत्र फुल्टन बिन्द निवासी हरगांव थाना चैनपुर जनपद कैमुर भभुआ बिहार को समय 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये । उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम व 318/319 बीएनएस में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण-पूछने पर अभियुक्त बता रहा है कि मै और मेरे साथी राजा कुरैशी पुत्र जाकिर कुरैशी निवासी ग्राम चैनपुर थाना चैनपुर जिला कैंमूर (भभुआ) बिहार जो यह वाहन को चला रहा था तथा दीपू पासवान पुत्र रामशीष पासवान निवासी शिवरामपुर थाना चांद जिला कैमूर बिहार मिलकर अहरौरा , मिर्जापुर , सुक्रुत , के जंगलो व गांवो से एक एक करके गोवंश खरीदते है पर्याप्त गोवंश हो जाते है तो उन्हे पिकप पर लादकर नौगढ़ जंगल के रास्ते मुसाखाड़ होते हुए बिहार ले जाते है , बिहार मे जानवरो का मेला लगता है । जहां से गोवंशो को बड़ी गाड़ियो में लादकर पश्चिम बंगाल पण्डुआ भेजा जाता है हम लोग गोवंशो को बेचकर व गोवध हेतु गोतस्करी कराकर काफी अच्छा पैसा कमाते है व इस काम मे जो भी पैसा मिलता है उसे हम बराबर बराबर भांगो मे बाट लेते है कल दि. 08.10.24 को भी हम लोग कुल 07 राशि गोवंशो को पिकप वाहन मे लादकर जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया जबकि मेरे साथी मौके से भाग निकले, थे । साहब मै यह काम काफी दिनो से कर रहा हू । मै गोवंशो को चोरी छिपे तस्करी के साथ साथ पास कराने का काम भी करता हू ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

वनभीषमपुर तिराहा वहद ग्राम वनभीषमपुर बफासला 15 किमी दक्षिण-पूरब थाना चकिया जनपद चन्दौली दिनांक 08.10.2024 समय 20.40 बजे

नाम पता अभियुक्त

1. सुजीत कुमार बिन्द उर्फ विपिन कुमार बिन्द पुत्र फुल्टन बिन्द निवासी हरगांव थाना चैनपुर जनपद कैमुर भभुआ बिहार

विवरण बरामदगी

1.07 राशि गोवंशीय पशु व 01अदद महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP63AT8074

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2. उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी रामपुर भभौरा थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.हे0 सूरज कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

4. हे0का0 दीपचन्द्र गिरी थाना चकिया जनपद चन्दौली।

5. हे0का0 जलभरत यादव जनपद चन्दौली।

6. हे0का0 अभयानन्द राय थाना चकिया जनपद चन्दौली

7. का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली

8. का0 सत्यप्रकाश राय थाना चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 09.10.2024

साइबर क्राइम जनपद चंदौली

□थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा आवेदक की फ्राड धनराशि-6800/- रुपये वापस करायी गयी

चंदौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक त्रिभुवन मौर्य पुत्र काशी नाथ मौर्य पता मजिदहा थाना-बलुआ जनपद-चन्दौली का फ्राड तरीके से 6800/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी. जिसके सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन मौर्य उपरोक्त द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 6800/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदक त्रिभुवन मौर्य उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदक का नाम/पता -

श्री त्रिभुवन मौर्य पुत्र काशी नाथ मौर्य पता मजिदहा थाना-बलुआ जनपद-चन्दौली

विवरण बरामदगी:-

दिनांक – 09.10.2024 वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 6800/-

दिनांक घटना- 26.08.2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

उ0 नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा

का0 अनिल कुमार

का0 आशुतोष भारद्वाज

प्रेसनोट -दिनांक 09.10.2024

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक मोबाईल चोर को 06 चोरी की मोबाईल के साथ किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली आदित्य लांग्हे, द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने व प्रभावी तरीके से रात्रिकालीन चेकिंग किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पचफेड़वा मार्केट से 30 मीटर पहले से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति की पहचान नाम पंचम गौड़ पुत्र स्व0 छेदी गौड़ निवासी वार्ड नं0 3 मुगलचक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष के रुप में हुई। जामा तलाशी में में उपरोक्त व्यक्ति के जीन्स के पेंट के दाहिने व बायें जेब से 03-03 कुल 06 मोबाइल फोन टच स्क्रीन बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 264/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1.पंचम गौड़ पुत्र स्व0 छेदी गौड़ निवासी वार्ड नं0 3 मुगलचक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 46/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 477/2020 धारा 392/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 478/2020 धारा 392/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0 479/2020 धारा 411/414 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

5.मु0अ0सं0 264/2024 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण–

1-सैमसंग कम्पनी रंग काला IMEI (i)- 358799694507182/01 IMEI (ii)- 358902424507189/01

2- विवो कम्पनी रंग आसमानी IMEI (i)- 868821055673230 IMEI (ii)- 868821055673222

3- ओप्पो कम्पनी रंग सफेद IMEI (i)- 862050052863851 IMEI (ii)- 862050052863844

4- आइटेल कम्पनी रंग हरा IMEI (i)- 352344674014184 IMEI (ii)- 352344674014192

5- विवो कम्पनी रंग नीला लाक है

6- हनर कम्पनी रंग काला

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.का0 शैलेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.का0 शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-09.10.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (सीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 03.04.2004 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रविन्द्र खत्री उर्फ बिन्दू पुत्र भोला नाथ सेठ निवासी म0न0141 काली महाल मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 120/2004 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-09.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (सीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.रविन्द्र खत्री उर्फ बिन्दू पुत्र भोला नाथ सेठ निवासी म0न0141 काली महाल मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 09.10.2024

□थाना कन्दवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 47/2024 धारा 65(1) बी.एन.एस ¾ पाक्सों एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□उपरोक्त घटना में क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक थाना कन्दवा द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई में गैंगरेप की घटना असत्य पायी गयी उक्त घटना में दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया

चंदौली- दिनांक 08/10/2024 को थाना कन्दवा पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें एक पीड़िता द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बतायी गयी । श्रीमान पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा उपरोक्त घटना के सन्दर्भ में निर्देशो के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश राय के कुशल मार्गदर्शन में, प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल तथा थाना कन्दवा द्वारा गठित टीम के द्वारा दिनाँक 08.10.2024 को पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2024 धारा 65(1) बी.एन.एस 3/4 (2) पाक्सों एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त शुभम पाण्डेय पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर पाण्डेय निवासी ग्राम अरंगी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष को मुखबीर की सूचना पर ग्राम अरंगी मौजा लोहरा ट्यूबवेल के पास से आज समय 10:05 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार-

शुभम पाण्डेय पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर पाण्डेय निवासी ग्राम अरंगी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम अरंगी मौजा लोहरा समय 10.05 बजे

गिरफ्तारी में पुलिस टीम का विवरण -

1.प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.हे0का0 हरिशंकर यादव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3.म0का0 किरन भारती थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-09.10.2024

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

□थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा एक बोलेरो वाहन में क्रुरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 04 राशि गोवंश बरामद

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम एंव गौतस्करी के विरुद्ध अंकुश लगाये जाने हेतु अभियान के क्रम में सूचना मिली की एक बोलेरो वाहन में गौतस्कर गोवंशो को लादकर चहनिया की तरफ से आ रहे है जो सकलडीहा होते हुए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल पण्डुआ वध हेतु ले जा रहे है इस सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की सघन चेकिंग की जाने लगी, पुलिस की चेकिंग होता देख गौतस्कर बोलेरो वाहन को तेजी से लेकर भागने लगे एंव भोजापुर रेलवे क्रासिंग बन्द होने पर बोलेरो वाहन खड़ी कर भाग गये, बोलेरो वाहन UP 67 AH 0385 को चेक किया गया तो उसमें 04 राशि गोवंश बरामद हुए। जिन्हें क्रुरतापूर्वक रस्सी से बांधा गया था । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-169/2024 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम बनाम 1.वाहन चालक नाम पता अज्ञात 2.वाहन स्वामी बोलेरो अज्ञात पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगीः-

1-04 राशि गोवंश जिन्दा (एक राशि गाय,एक राशि साड़ व दो राशि बछड़ा)

2-एक बोलेरो वाहन सं0-UP 67 AH 0385

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 दिनेश राम कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 संदीप आनन्द कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.का0 शब्बीर अहमद कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट-दिनांकः 09.10.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□शरदीय नवरात्र के दृष्टिगत यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया द्वितीय 03 दिवसीय विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1356 वाहनों का चालान करते हुए 18,16,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा जनपद में द्वितीय 03 दिवस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 1356 वाहनों का चालान करते हुए 18,16,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-635

2.नो पार्किंग- 205

3.तीन सवारी- 114

4.सीट बेल्ट- 18

5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-43

6.विधि नियमों का उल्लंघन (179)- 92

7.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना- 05

8.तेज रफ्तार में वाहन चलाना- 05

9.गलत नंबर प्लेट- 59

10.बेवजह हार्न बजाना- 04

11.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना- 22

12.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना- 90

13.मागने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना/ परमिट शतों का उल्लंघन- 16

14.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना- 07

15.मदिरा पीकर वाहन चलाना- 01

16.नो एंट्री का उल्लंघन करना- 04

17.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना- 10

18.मांगने पर प्रदषण सर्टिफिकेट न दिखा पाना- 06

19.सीज- 20

यातायात नियमों के उलंघन में द्वितीय 03 दिवसीय विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-1356

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-18,16,500/-रूपयें। (अठ्ठारह लाख सोलह हजार पांच सौ रूपयें)